संख्या: 150274 /52526/FCD-IRFC/FFCG/8/2023

I/150274/2023

प्रेषक,

सी. रवि शंकर,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
31/62, राजपुर रोड,
देहरादून।

वित्त अनुभाग–1 :: देहरादून :: दिनांकः 08 सितम्बर, 2023

विषयः– **पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में तीन गैर निर्वाचित निकायों को वित्तीय वर्ष 2023–24 की द्वितीय छमाही किश्त (अक्टूबर ये मार्च, 2024) की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के कम में निम्नलिखित तीन गैर निर्वाचित निकायों को वित्तीय वर्ष 2023–24 की द्वितीय छमाही किश्त (अक्टूबर से मार्च, 2024) हेतु कुल ₹3,00,00,000.00 (₹ तीन करोड़ मात्र) की धनराशि आवंटित करने के लिए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क.सं.	जनपद	गैर निर्वाचित निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 की द्वितीय छमाही (अक्टूबर से मार्च, 2024) किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि (₹ह0में)
1-	चमोली	ब्रदीनाथ	10000
2-	रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	10000
3-	उत्तरकाशी	गंगोत्री	10000
		योग	30000

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही है:–

1. पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन, अध्याय–8 (संकमण की योजना) में की गई संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत उक्त धनराशि संकमित की जा रही है।
2. पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों हेतु की गई संस्तुतियों के कियान्वयन के संबंध में वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 266/(वि.आ.निदे.) xxvii(1)/ 2022, दिनांकः 02.05.2022 द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम निकायों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत समस्त प्रकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, पथ प्रकाश, जल संस्थान के देयकों एवं सेवा निवृत्त कर्मचारियों के दावों का भुगतान सुनिश्चित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि, विकास कार्यों एवं केवल सफाई व स्वच्छता संबंधी वाहनों यथा:– कूडा वाहन, डम्पर, टिप्पर, जे.सी.बी. व कम्पेक्टर वाहन क्रय करने पर व्यय की जा सकती है परन्तु स्वच्छता से इतर अन्य वाहन जैसे :–जीप और स्टॉफ कार कदापि क्रय नहीं किये जायेगें।
4. यदि किसी ग्राम पंचायत का कोई भाग नगर निगम/ नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत में सम्मिलित कर लिया गया हो या किसी ग्राम पंचायत से नई ग्राम पंचायत का गठन हो गया हो अथवा किसी शहरी स्थानीय निकाय में पूर्व में सम्मिलित ग्राम पंचायत को पुनः ग्राम पंचायत बना दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में उस ग्राम पंचायत अथवा नगर निकाय को संकमित धनराशि का हस्तान्तरण वित्त विभाग के शासनादेश सं0–822/XXVII(1)/ 2014, दिनांकः 15 अक्टूबर,

Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 08/09/2023 05:06 PM

2014 एवं शासनादेश सं0–1344/xxvii(1)/ 2021, दिनांकः 17 दिसम्बर, 2018 में दी गई व्यवस्थानुसार किया जायेगा, जिसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–132/XXVII(6)/ 430/ एक/ 2008/2019, दिनांकः 29 मार्च, 2019 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा कोषागार के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार धनराशि संबंधित निकायों को अंतरित की जायेगी। किसी भी दशा में निदेशालय स्तर पर धनराशि रोकी नहीं जायेगी।

6. गैर निर्वाचित निकायों को छमाही किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

7. अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधित नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा दिनांकः 31 मार्च, 2024 तक निदेशक, शहरी विकास विभाग को प्रेषित किये जायेगें। निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा संकलित उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभागीय सचिव से हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। समय से उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में अगली किश्त की धनराशि रोकी जा सकती है, जिसके लिए संबंधित निकाय उत्तरदायी होंगें।

8. संक्रमित धनराशि के सदुपयोग के लिए शासन स्तर पर संबंधित विभाग के सचिव तथा निदेशालय स्तर पर संबंधित विभाग के निदेशक द्वारा त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी।

9. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 111469/9 (150)/ 2019 /xxvii(1)/2023, दिनांकः 31 मार्च, 2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में निर्गत दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक/ विभागीय अधिकारी इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी। वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई विचलन मान्य नहीं होगा।

11. अलोटमेन्ट आई.डी. संलग्न है।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्यय की अनुदान संख्याः07 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगाः–

क.सं.	निकाय का नाम	लेखाशीर्षक	संक्रमित धनराशि (रॅ़ह0में)
1-	गैर निर्वाचित निकायः बद्रीनाथ, केदारनाथ व गंगोत्री	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02–राज्य वित्त आयोग–04–शहरी स्थानीय निकायों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान–26–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	30000

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

Signed by C Ravi Shankar
Date: 29-08-2023 13:27:00

(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव।

I/150274/2023

संख्याः /52526/FCD-IRFC/FFCG/8/2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव/ सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/ कुमायूं मण्डल।
4. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मीरोड, डालनवाला, देहरादून।
6. निदेशक, लेखा परीक्षा, रिंग रोड, देहरादून।
7. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मीरोड, डालनवाला, देहरादून।
10. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
11. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी/ शहरी विकास मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
12. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
13. शहरी विकास अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
14. एन0आई0सी0सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 08/09/2023 05:06 PM